

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून


संख्या 717 / स्थानान्तरण पत्रा0 / 2022-23 / दे0दून / दिनांक 08 जुलाई, 2022

॥ स्थानान्तरण आदेश ॥

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में निर्गत व्यवस्था के आधार पर वर्ष 2022 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके क्रम में स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित कार्मिक का उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 पर अंकित वर्तमान तैनाती के स्थल/जनपद से कॉलम-04 पर अंकित जनपद में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जुबैद अहमद (उप क्रीड़ा अधिकारी)	जिला खेल कार्यालय, बागेश्वर	जिला खेल कार्यालय, नैनीताल	जनहित में


2. स्थानान्तरण अधिनियम 23(10) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा।
3. स्थानान्तरण अधिनियम 23(11) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
4. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित कार्मिक पर विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।
5. स्थानान्तरित कार्मिक के समस्त सेवा अभिलेख नई तैनात के जनपद को उपलब्ध करावते हुये उनकी कार्यमुक्ति व योगदान की सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


(जी0 एस0 रावत)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष प्रमुख सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. जिला क्रीड़ाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिका।
6. संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाईल।


निदेशक खेल

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून


संख्या 718 / स्थानान्तरण पत्रा0 / 2022-23 / दे0दून / दिनांक 08 जुलाई, 2022

॥ स्थानान्तरण आदेश ॥

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में निर्गत व्यवस्था के आधार पर वर्ष 2022 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके क्रम में स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित मिनिस्ट्रीय संवर्ग के कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 पर अंकित वर्तमान तैनाती के स्थल/जनपद से कॉलम-04 पर अंकित जनपद में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रजापति कुकरेती (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)	जिला खेल कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल	जिला खेल कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	जनहित
2	श्री देर सिंह चौहान (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)	जिला खेल कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	जिला खेल कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल	जनहित


2. स्थानान्तरण अधिनियम 23(10) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा।
3. स्थानान्तरण अधिनियम 23(11) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
4. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित कार्मिक पर विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।
5. स्थानान्तरित कार्मिक के समस्त सेवा अभिलेख नई तैनात के जनपद को उपलब्ध करावते हुये उनकी कार्यमुक्ति व योगदान की सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


(जी० एस० रावत)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष प्रमुख सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/टिहरी गढ़वाल।
3. जिला क्रीडाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/टिहरी गढ़वाल।
4. वरिष्ठ कोषधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिका।
6. संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाईल।


निदेशक खेल